I/154676/2023

संख्या– 1169 /XLI-A/2023–59/2022/E-28117

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर, गढ़वाल।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादून, दिनांक 18 सितम्बर, 2023

विषयः– नाबार्ड की RIDF-XXVIII योजनान्तर्गत वित्त पोषित राजकीय पालीटेक्निक, नरेन्द्रनगर में द्वितीय फेज के निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में शासनादेश सं. 358/XLI-A/2023-59/2022/E-28117 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर में द्वितीय फेज के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आंगणन के सापेक्ष शासन स्तर पर सम्पन्न टी.ए.सी. एवं व्यय वित्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदनोपरांत संस्तुत धनराशि/नाबार्ड द्वारा संस्तुत लागत रू. 3272.72 लाख (रू. बत्तीस करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) की नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू. 883.63200 लाख (रू. आठ करोड़ तिरासी लाख तिरेसठ हजार दो सौ मात्र) की वित्तीय एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

2– उक्त के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)–2019/XXVII(I)/2023 दिनांक 31.03.2023 एवं आपके पत्र सं. 4321/नि.प्रा.शि./(नाबार्ड)/2023–24 दिनांक 16.08.2023 एवं पत्र सं. 5071/नि.प्रा.शि./(नाबार्ड)/2023–24 दिनांक 11.09.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2023–24 में नाबार्ड योजना से वित्त पोषित **राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर में द्वितीय फेज के निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत लागत रू. 3272.72 लाख के सापेक्ष कुल राज्यांश (रू. 327.272 लाख) (रू. तीन करोड़ सत्ताइस लाख सत्ताइस हजार दो सौ मात्र)** को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त ड्राइंग/स्ट्रक्चरल डिजाइन, डी.पी.आर को मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से वैट अवश्य कराया जाय तथा सक्षम तकनीकी स्तर से अनुमोदित कराये जाये। अस्वीकृत ड्राइंग/डिजाइन पर कोई भी कार्य कदापि न कराया जाय।
3. तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन, Site Plan तथा विभिन्न ड्राइंग पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनों/संरचनाओं के Layout पर सहमति प्राप्त कर ली जाये तथा पूर्व भवन के निर्माण/डिजाइन में भूकम्परोधी मानकों IS-1893, IS-13920तथा IS-4326 का प्राविधान किये जाने तथा भवन की संरचनात्मक सुदृढ़ता (Structural satbility) का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त Structural engineer से प्राप्त किया जाय।
4. कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008

दिनांक 15.12.2008, 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 तथा 426/XXVII(7)/2013 दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
7. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
9. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
11. कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रस्तावित समस्त कार्ययोजना की मृदा परीक्षण/ Safe bearing capacity का सत्यापन करा लिया जाएगा।
12. ध्वस्तीकरण से प्राप्त होने वाली उपयोगी सामग्री की नियमानुसार नीलामी कर प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से पूर्व बजट या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है तथा स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
15. भवन के निर्माण में स्थानीय वास्तुकला (Hill Architecture) का प्राविधान किया जाय।
16. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गृणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।
17. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट, सरिया, स्टक्चरल स्टील, एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य करया जाय।
18. आगणन में डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदे एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृत अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों आगणन में समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें है।
19. आगणन में दरें एस0ओ0आर0 2021 एवं डी0एस0आर0 2018 की ली गयी है, दरें शिडयूल आफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है, उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से प्राप्त कर उन मदों की दरों को डी.एस.आर./एस.ओ.आर. आदि में प्राविधानित दर विश्लेषण के अनुसार ही दर विश्लेषित कर प्राविधान किया जाय। एन.एस.आई. मदों/बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु शासनादेश सं. 50/XVII(7)/2012 दिनांक 12.04.2012,

I/154676/2023

152/887/मार्गसि0/रा0यो0आ0/2021 दिनांक 04.02.2021 एवं शासनादेश संख्या–103/XVII(7)32/2007 TC-1 दिनांक 21.07.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली–2017 (यथासंशोधित) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

20. योजना कियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
21. योजना कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
22. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय तथा कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों को सम्बन्धित विभाग से वैट करा लिया जाय।
23. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद आदि की फीस में कोई वृद्वि नहीं होगी।
24. भवन का कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
25. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
26. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शतप्रतिशत उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरांत ही अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जाएगा।
27. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–02–104–98–01 के मानक मद 53–वृहद निर्माण'' के नामे डाला जायेगा।

3 – यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक–1 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 24.06.2022 के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

Signed by Raman Ravinath
Date: 15-09-2023 19:32:14

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 1169 /XLI-A/2023–59/2022/E-28117 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
3. सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रीनगर, पौड़ी।

I/154676/2023

8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–01 एव 03, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Shriprakash Tiwari
(श्रीप्रकाश तिवारी)
Date: 18-09-2023 13:56:16
उप सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Technical Education(S051)

HOD-Director Technical Education(4110)

आवंटन पत्र संख्या -1169
अनुदान संख्या -011

आवंटन आई डी-S23090110024
आवंटन पत्र दिनांक-19-SEP-2023

लेखा शीर्षक	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	02-तकनीकी शिक्षा
	104-बहुशिल्प	98-नाबर्ड वित्त पोषित
	01-राजकीय पालीटेक्निकों का भवन निर्माण (42020210417 से स्थानान्तरित)	Voted

4	2	0	2	0	2	1	0	4	9	8	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	71330720	32727200	0	104057920
योग	71330720	32727200	0	104057920

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,27,27,200 (Rupees Three Crores Twenty Seven Lacs Twenty Seven Thousand Two Hundred Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(चन्द्रशेखर उपाध्याय)
अनुभाग अधिकारी
तकनीकी शिक्षा अनुभाग
उत्तराखण्ड शासन